कार्यालय,
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,पाकुड़
(जिला पंचायत शाखा)

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 395/पं0, दिनांक 19.02.2021 के आलोक में ग्राम पंचायत स्तर पर 15 वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के कियान्वयन, अनुश्रवण एवं इनसे संबंधित ऑनलाईन कार्यों के सम्पादन में तकनीकि सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख–रखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु विज्ञप्ति :–

क0सं0	सेवा क्षेत्र का नाम	संख्या	अधिकतम मासिक देय राशि
1	**कनीय अभियंता के रूप में**	12 (दो प्रति प्रखण्ड की दर से)	17000/–
2	**लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में**	26 (प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक)	10000/–

ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थियों के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी।

2. कनीय अभियंता :

क– आरक्षण नीति :

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी।

ख– शैक्षणिक योग्यता :–

(i) अनिवार्य योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत् अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत् होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता :– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

ग– उम्र सीमा :

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

घ– चयन की प्रकिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुसंशा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त — सदस्य
2. उप विकास आयुक्त, पाकुड़ — सदस्य
3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पाकुड़ — सदस्य
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पाकुड़ — संयोजक
5. कार्यपालक अभियंता (विशेष प्रमंडल/पथ निर्माण) — सदस्य
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित — सदस्य

(अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांको पर आधारित होगा।

च— मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका छ-I में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

छ— मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :—

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत् रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य समझे जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क– आरक्षण नीति :

लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी।

ख– शैक्षणिक योग्यता :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंको के साथ बी0कॉम0/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत् रहेगा।

(ii) वांछनीय योग्यता :– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग– उम्र सीमा :

लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

घ– चयन की प्रकिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुसंशा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त	– सदस्य
2. उप विकास आयुक्त, पाकुड़	– सदस्य
3. जिला लेखा पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय वाणिज्यकर सेवा के पदाधिकारी	– सदस्य
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पाकुड़	– संयोजक
5. जिला स्तरीय NIC के पदाधिकारी	– सदस्य
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित (अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)	– सदस्य

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंकों के कुल प्राप्तांको पर आधारित होगा।

च– मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

छ– मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत् रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य समझे जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रकिया :

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट **www.pakur.nic.in** से download किया जा सकता है।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा :–

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/– रूपये	सामान्य
		300/– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/– रूपये	सामान्य
		300/– रूपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में उपायुक्त, पाकुड़ के पदनाम से देय होगी एवं पाकुड़ में भुगतेय होगी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(कृ0पृ0उ0)

5. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्त्तें निम्नवत् होंगी :—

i. चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।

ii. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्णय लिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।

iii. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choise) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जायेगा।

iv. कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी —सह— सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।

v. सेवा अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए किया जायेगा। एक वर्ष के पश्चात् उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात् की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जायेगा।

vi. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों की क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

vii. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा कियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समापत किया जा सकेगा।

ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी को उपलबध करायेंगे जिसपर अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जायेगा।

x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जायेगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरूद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।